फर्द अहकाम
कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– श्री उंकारलाल **विपक्षी :– प्रधानाचार्य रा.उ.मा.वि.**
किस्म मुकदमा – 128 भू.रा.अधि. **पत्रावली संख्या : 44/21**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 29.07.2022 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। विपक्षी सं. 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित। राजपेरोकार द्वारा पत्थरगढी किये जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में पत्थरगढी किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि हैं। विपक्षीगण प्रार्थीगण की भूमि के पडोसी खातेदार हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि की सीमा को लेकर प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य विवाद बना रहता हैं। अतः विवाद समाप्ति के लिए पत्थरगढी किया जाना उचित हैं। विपक्षी सं. 1 द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से कोई खण्डन नहीं किया हैं। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की सीमा को लेकर विवाद होने से पत्थरगढी किया जाना आवश्यक हैं। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं। **–: आदेश :–** प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा ईण्टाली पटवार हल्का ईण्टाली की आराजी नम्बर 5891/2492 किता 1 रकबा 0.3237 हेक्टेयर भूमि के पूर्व, उत्तर एवं दक्षिण दिशाओं की सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार मावली को 500/– पांच सौ रूपया कमिश्नर शूल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान एवं पडोसी खातेदार की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करे। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भूगतान प्रार्थीगण अदा करेगें। निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया। **(कपिल कुमार कोठारी)** **सहायक कलक्टर** **(SDO)मावली** Signature Not Verified	

Digitally signed by Kapil Kumar Kothari
Date: 2022.08.03 15:22:52 IST
Reason: SelfAttested